न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–94/2020

प्रार्थी:–

चेतनलाल पुत्र डायाराम जाति जीनगर निवासी मजल तहसील समदडी जिला बाडमेर राजस्थान.

बनाम

विप्रार्थी:–

1. मांगीलाल पुत्र डायाराम जाति जीनगर निवासी मजल तहसील समदडी जिला बाडमेर राजस्थान.
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा मजल पटवार मण्डल मजल खसरा संख्या 1127/755 रकबा 25.00 बीघा की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेज यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड व भामाशाह कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम चेताराम पुत्र डायाराम दर्ज है। ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम चेतनराम पुत्र डायाराम अंकित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में चेताराम नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं चेताराम व चेतनलाल नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान किये जाने बाबत सहमति जाहिर की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:21 IST
Reason: Self Attested

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की सारगर्भित बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर चेताराम पुत्र डायाराम के स्थान पर चेतनलाल पुत्र डायाराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

.ने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन ...या। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड व भामाशाह कार्ड दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम चेतनलाल पुत्र डायाराम दर्ज हैं । ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि चेताराम व चेतनलाल दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा मजल पटवार मण्डल मजल खसरा संख्या 1127/755 रकबा 25.00 बीघा भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "चेताराम पुत्र डायाराम " के स्थान पर "चेतनलाल पुत्र डायाराम " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदडी आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक .30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:21 IST
Reason: SelfAttested